इस प्रकाशन के बारे में

1997 में इंटरएक्शन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित

प्रस्तावना

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निष्ठ प्रतिष्ठा तथा समान एवं अहस्तांतरणीय अधिकारों को मान्यता प्रदान करना विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है, और इसमें दायित्व तथा उत्तरदायित्व हैं,

मात्र अधिकारों की मांग करने पर जोर देने से वाद-विवाद, बंटवारे और अंतहीन झगड़ों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मानवीय उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने से अव्यवस्था तथा अराजकता उत्पन्न हो सकती है,

कानूनी व्यवस्था तथा मानव अधिकरों का संवर्धन इस बात पर निर्भर करता है कि सभी पुरुष एवं स्त्रियां उचित प्रकार से कार्य करने के लिए तत्पर हों,

विश्व की समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पर ही किया जा सकता है और यह तभी संभव है, जब विश्व की सभी संस्कृतियां तथा समुदायों के विचारों, मूल्यों तथा मानदंडों को अपनाया जाए।

सभी लोगों का अपनी सर्वाधिक जानकारी तथा योग्यता के अनुसार यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने देश में तथा वैश्विक स्तर पर एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करें, यह ऐसा लक्ष्य है, जिसे मात्र कानूनों, आदेशों एवं परंपराओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता,

जबकि प्रगति और सुधार के लिए मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति केवल उन सम्मत मूल्यों और मानदण्डों द्वारा ही की जा सकती है, जो सभी लोगों और संस्थाओं पर सदैव लागू होती है।

अब, अतः

सामान्य सभा

सभी लोगों को समस्त राष्ट्रों के लिए एक सामान्य मानक के रूप में मानवीय उत्तरदायित्वों के इस सार्वजनिक घोषण पत्र को घोषित करती है कि हर व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र को निरंतर ध्यान में रखते हुए समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करेगी और अपने सभी सदस्यों को प्रबुद्ध करने की दिशा में भी कार्य करेगा। हम समस्त विश्व जन इस प्रकार मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में पूर्व घोषित प्रतिबद्धताओं अर्थात सभी लोगों की प्रतिष्ठा, उनकी अहस्तांतरणीय स्वतंत्रता तथा समानता, और एक दूसरे के प्रति 'अटूट' एकता की भावना की संपूर्ण स्वीकृति का नवीकरण पुनःसृदृढ़ करते हैं। समस्त विश्व में इन उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता तथा स्वीकार्यता की भावना विकसित की जानी चाहिए।

मानवता के मूल सिद्धांत

अनुच्छेद-1

प्रत्येक व्यक्ति का लिंग-भेद, मूल प्रजाति, सामाजिक-स्तर, राजनीतिक मत, भाषा, आयु, राष्ट्रीयता, अथवा धर्म के निरपेक्ष यह उत्तरदायित्व है कि वह सभी लोगों से मानवोचित व्यवहार करें।

अनुच्छेद-2

किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का समर्थन नहीं करना चाहिए। सभी लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि वे दूसरों की प्रतिष्ठा व आत्मसम्मा की रक्षा करें।

अनुच्छेद-3

कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन, राज्य, सेना अथवा पुलिस अच्छाई व बुराई से ऊपर नहीं हैं, सभी पर नैतिक मानदण्ड लागू होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अच्छाई को बढ़ावा दे और सभी बातों में बुराई से बचे।

अनुच्छेद-4

तर्क एवं सद्विवेक से युक्त सभी लोगों को प्रत्येक व्यक्ति के प्रति तथा सभी के प्रति, परिवारों और समुदायों के प्रति, जातियों, राष्ट्रों और धर्मों के प्रति अटूट एकता की भावना से अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए जो कार्य आप नहीं चाहते कि; कोई दूसरा आपके साथ करें, आप वैसा दूसरों के साथ न करें।

© InterAction Council

अंहिसा तथा जीवन के प्रति सम्मान की भावना

अनुच्छेद-5

प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह जीवन के प्रति सम्मान की भावना रखे। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को चोट या यातना पहुंचाए या उसकी हत्या कर दे। इसमें व्यक्तियों या समुदायों का औचित्य आत्म-रक्षा का अधिकार शामिल नहीं है।

अनुच्छेद-6

राज्यों, समूहों या व्यक्तियों के बीच के विवादों का समाधान हिंसा के बिना ही किया जाना चाहिए। किसी भी सरकार को जाति संहार या आतंकवाद के कार्यों को सहन नहीं करना चाहिए और न ही उनमें भाग लेना चाहिए, न ही इसे महिलाओं, बच्चों या अन्य नागरिकों का युद्ध में दुरुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक तथा सरकारी कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह शांतिपूर्वक तथा अहिंसात्मक तरीके से कार्य करे।

अनुच्छेद-7

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अत्यंत मूल्यवान है और उसकी रक्षा बिना किसी शर्त के की जानी चाहिए। पशुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की भी आवश्यकता होती है। सभी लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि वे धरती पर रहने वाले प्राणियों तथा भावी पीढ़ियों के लिए वायुमंडल, जल एवं पृथ्वी की रक्षा करें।

न्याय तथा पूर्ण एकता

अनुच्छेद-8

प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह निष्ठा, ईमानदारी तथा निष्पक्षता से व्यवहार करे। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या समूह की संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए या किसी व्यक्ति या समूह को उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद-9

सभी लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि उन्हें अपेक्षित साधन उपलब्ध होने पर गरीबी, कुपोषण, अज्ञानता तथा असमानता को दूर करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। उन्हें संपूर्ण विश्व में स्थायी विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व में सभी लोगों को प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्राप्त हो।

अनुच्छेद-10

सभी लागों का यह उत्तरदायित्व है कि वे श्रमपूर्वक प्रयास करके अपनी प्रतिभा एवं योग्यता का विकास करें। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने तथा सार्थक कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, जो जरुरतमंद हैं, जिन्हें जो सामान्य सुविधाओं से वंचित है, जो अशक्त और भेदभावपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हैं।

अनुच्छेद-11

समस्त संपत्ति तथा संपदा का उपयोग न्यायानुसार एवं मानव जाति की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का उपयोग प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए अपितु आर्थिक न्याय तथा सामाजिक व्यवस्था के लिये किया जाना चाहिए।

सत्यता एवं सहिष्णुता

अनुच्छेद-12

प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह सत्य बोले और सत्यता से आचरण करे। कोई कितना ही ऊंचा या शक्तिशाली क्यों न हों उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। निजता (प्राइवेसी) के अधिकार तथा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति को सदैव संपूर्ण सत्य बताने के लिए बाध्य नहीं है।

© InterAction Council

अनुच्छेद-13

किसी भी राजनीतिक, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक नेता, वैज्ञानिक, लेखक या कलाकार को सामान्य नैतिक मानदण्डों से छूट प्राप्त नहीं हैं, न ही चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों को ही इन मानदण्डों से छूट प्राप्त है, जिनका अपने मुवक्किलों के प्रति विशेष दायित्व होता है। नीति संबंधी व्यावसायिक और अन्य संहिताओं में सत्यता तथा निष्पक्षता जैसे मानदण्डों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद-14

समाचार पत्रों एवं अन्य संचार संसाधनों द्वारा जनता को सूचनाएं प्रदान करने तथा समाज की विभिन्न संस्थाओं की तथा सरकारी कार्यों की आलोचना करने की स्वतंत्रता जो एक न्यायसंगत समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, का उपयोग पूरी जिम्मेदारी तथा विवेक से करना चाहिए। समाचार पत्रों तथा संचार साधनों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे सही और सच्चे समाचार दें। ऐसे सनसनीखेज समाचार कभी नहीं देने चाहिए, जिनसे किसी व्यक्ति की बदनामी होती हो या जो मानवीय प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-15

सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे विभिन्न मतावलंबियों के विरूद्ध कोई द्वेषपूर्ण बात न कहें और न ही कोई भेदभावपूर्ण कार्य करें। उन्हें घृणा या धर्मांधता नहीं फैलानी चाहिए और न ही उन्हें धार्मिक युद्धों को बढ़ावा देना चाहिए, अपितु उन्हें सभी लोगों के बीच सहिष्णुता तथा परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

परस्पर सम्मान और साझेदारी

अनुच्छेद-16

सभी पुरुषों एवं स्त्रियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी साझेदारी में समझौते की भावना रखें। किसी भी दूसरे व्यक्ति को यौन उत्पीड़न नही पहुंचाना चाहिए और न ही उसे अपने अधीन बनाना चाहिए, अपितु यौन संबंध रखने वाले स्त्री-पुरुष को एक दूसरे की सुख सुविधा का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए।

अनुच्छेद-17

विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों में विवाह के लिए प्रेम, निष्ठा तथा क्षमा की भावना आवश्यक होती है और सुरक्षा प्रदान करना तथा परस्पर समर्थन एवं सहायता प्रदान करना ही विवाह का उद्देश्य होना चाहिए।

अनुच्छेद-18

प्रत्येक युगल का यह उत्तरदायित्व है कि वे सूझबूझ से परिवार नियोजन करें। माता-पिता तथा बच्चों के बीच परस्पर स्नेह प्रेम की भावना के साथ-साथ एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। किसी भी माता-पिता या परिवार के बड़े सदस्यों को बच्चों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें परेशान करना चाहिए।

सारांश

अनुच्छेद-19

इस घोषणा पत्र में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कोई ऐसे कार्यकलाप में संलग्न हो सकेगा या कोई ऐसा कार्य कर सकेगा, जिससे इस घोषणा पत्र में और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों, अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन होता है।

© InterAction Council